न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2022/674

1. हेमन्त कुमार चर्तुवेदी पुत्र श्री रघुनन्दन प्रसाद चर्तुवेदी, चर्तुवेदी निकेतन, मालीपुरा बसवां रोड़, पुराना वार्ड नम्बर 24, नया वार्ड नम्बर 36, बांदीकुई जिला दौसा

––अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री हेमन्त चर्तुवेदी अपीलार्थी स्वयं**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।**

निर्णय

दिनांकः 17.04.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09.2022 से असंतुष्ट होकर आर्म्स अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी एक अधिवक्ता है तथा थानाधिकारी बूंदी शहर कोटवाली श्री सहदेव सिंह के विरूद्ध अपीलान्ट ने सूचनाओं के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में विधि विरूद्ध कार्यवाही करने व षडयंत्र में शामिल होने के बारे में सूचना दी थी व न्यायालय के आदेश की अवमानना के कारण उनके विरूद्ध अवमानना याचिका भी लम्बित है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट की कार दिनांक 18.08.2021 को जब अपीलान्ट अपने मुवकिल से मुलाकात के लिये थाना कोतवाली गये थे जब किसी अनजान व्यक्ति ने अपीलान्ट की गाड़ी का पींछा किया व फोटो ग्राफ भी खींचे थे एवं दिनांक 23.08.2021 को जब अपीलान्ट न्यायालय की कार्यवाही में सम्मलित होने हेतु अपने निवास स्थान से बूंदी के लिये आ रहे थे तब टोल प्लॉजा निवाई के मोड़ पर से अपीलान्ट के निकलने की सूचना मोबाईल के जरिये आगे भेजी गई थी व चार व्यक्तियों ने दो मोटर साईकिलों पर बूंदी से 13 किलोमीटर पहले भारत पैट्रोलयम के पम्प तक पींछा किया इसके पश्चात् वो वापिस चले गये थे जिससे अपीलान्ट को उक्त मुकदमें में पैरवी करने के कारण कुछ सच उजागर होने के डर से अपीलान्ट की जान को खतरा है। इसलिये अपीलान्ट द्वारा अपने जान की सुरक्षा हेतु दो हथियार बन्द सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बूंदी को दिनांक 31.08.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट ने इस संदर्भ में व जॉच स्थान्तरित करने के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय व अन्य पुलिस विभाग के अधिकारियों को व माननीय न्यायालय को मामले की गंभीरता को देखते हुये ई–मेल के जरिये शिकायत भी भेजी थी उक्त समस्त तथ्यों के उपरान्त भी अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नही किया गया।

P-T-O-

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट को न्यायिक कार्यो में पैरवी करने हेतु विभिन्न राज्यों यथा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश इत्यादि में जाना व आना होता रहता है जिससे अपीलान्ट को अपराधिक प्रवृति के लोगों से जान माल के नुकसान का पूर्ण अंदेशा है जिसके लिये अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन कर अपीलान्ट द्वारा समस्त तथ्यों से अवगत कराया गया है किन्तु उसके उपरान्त भी अधीनस्थ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही लाईसेन्स जारी नही किया गया। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने रिकार्ड को नही देखा, यहॉ तक पत्रावली का अवलोकन ही नही किया क्योंकि अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये था ना की पूर्व में जारी अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण हेतु।

अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट आर्म्स नियम 2007 के अनुसार शस्त्र रखने का हकदार है किन्तु अधीनस्थ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जानबुझकर कि अपीलान्ट दिमागी टोर्चर, दर्द पीड़ा कष्ट आदि से उत्पडित हो सोचते हुए दिनांक 08.10.2015 के प्रार्थना पत्र आर्म्स नियम 2007 के अनुसरण में कोई निर्णय नही दिया है जबकि अधीनस्थ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई तर्कसंगत कारण नही रहे है किन्तु अधीनस्थ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय को 7 वर्ष तक अपनी मनमर्जी से रोके रखा है जो न्यायिक प्रक्रिया के विपरित एवं विधि विरूद्ध है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावें एवं आदेश दिनांक 08.09.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट को अविलम्ब 32 बोर रिवाल्वर/पिस्टल का लाईसेन्स जारी करने के आदेश प्रदान किये जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि अधीनस्थ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा द्वारा अपीलार्थी के प्रकरण में कोई अंतिम निर्णय नही लिया गया है बल्कि वर्तमान में आर्म्स नियम 2016 प्रभावी होने से अपीलार्थी को आर्म्स नियम 2016 के दिशा–निर्देशों के अनुरूप आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पत्र दिनांक 08.09.2022 जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई तथा अपीलार्थी द्वारा वर्तमान में प्रभावी आर्म्स नियम 2016 के दिशा–निर्देशों के अनुरूप आवेदन प्रस्तुत करने पर नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने की यथोचित कार्यवाही की जा सकेगी। अतः अपील अपीलार्थी खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा के पत्र दिनांक 08.09.2022 द्वारा वर्तमान में आर्म्स नियम 2016 के दिशा–निर्देशों के अनुरूप आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अपीलार्थी

P-T-O-

संभागीय आयुक्त
जयपुर

को निर्देश दिये गये जिससे जाहिर है कि अपीलार्थी के आर्म्स अनुज्ञा पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण नही हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रतीत नही होता है एवं अपील प्रस्तुत करने हेतु कोई विधिक कारण नही होने के कारण अपील खारिज की जाती है। अपीलान्ट का यह कथन कि उनका प्रार्थना पत्र वर्ष 2015 में प्रस्तुत किया है इसलिये आर्म्स नियम 2007 के तहत ही उनके प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाये, मानने योग्य नही है क्योंकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि निर्णय किये जाने के समय प्रचलित कानून/नियम ही प्रभावी माने जायेंगे एवं उसके अन्तर्गत ही अंतिम निर्णय किया जायेंगा। अतः जिला कलक्टर दौसा तदानुसार कार्यवाही करें।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 17.04.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

17/4/23

संभागीय आयुक्त
जयपुर